Convention Center Bookings other terms & conditions : -

- विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस/कन्वेंशन सेंटर में Bulk/एक साथ 10 या 10 अधिक कमरें आरक्षित करने की स्थिति में बंधक धनराशि के सापेक्ष रू0 50,000.00 का पृथक चैक एवं बुकिंग धनराशि (किराये की धनराशि) की पचास प्रतिशत धनराशि अग्रिम के रूप में बुकिंग के समय जमा करानी होगी। इसके साथ ही बुकिंग की अवशेष धनराशि कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से 07 दिन पूर्व जमा करानी होगी।
- विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस/कन्वेंशन सेंटर में Bulk/एक साथ 10 या 10 अधिक कमरें आरक्षित करने की स्थिति में आरक्षित कक्षों/स्थलों की साफ–सफाई हेतु रू0 5000.00 की धनराशि अतिरिक्त रूप से जमा करानी होगी।
- बंधक धनराशि (Security Money) एवं किराये की धनराशि चैक/डी0डी0/NEFT के माध्यम से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (Gautam Buddha University) के पक्ष में देय होगी। गेस्ट हाउस/कन्वेंशन सेंटर में आगमन एवं प्रस्थान का समय (चैक इन/चैक आउट):– गेस्ट किसी भी समय आगमन/चैक इन कर सकते है। सामान्यतः कमरे का आरक्षण का 24 घंटे की अवधि के लिए होगा। परन्तु कमरे का 24 घंटे (Fraction Day) से कम उपयोग करने की स्थिति में भी पूरे दिन की गणना की जाएगी एवं किराया पूरे 24 घंटे का लागू होगा। गेस्ट द्वारा कन्वेंशन सेंटर/गेस्ट हाउस में कमरें आरक्षित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप/डिमांड पत्र भरकर स्वयं का पेन कार्ड/आधार कार्ड/अन्य की प्रति संलग्नक कर सम्बन्धित कार्यालय में जमा करायेगें।
- विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/संकाय सदस्य को अपने अतिथि को कन्वेंशन सेंटर/गेस्ट हाउस में ठहराने के लिए समान्यतः प्रारम्भ में अधिकतम 03 दिनों/रात्रि हेतु अनुमति दी जाएगी।
- विश्वविद्यालय में अध्ययनरत्/निवासरत छात्र/छात्राओं के अभिभावकगणों को गेस्ट हाउस में ठहरने हेतु इनके द्वारा दिये गये अनुरोध पत्र को सम्बन्धित छात्रावास के छात्रावास अभिरक्षक एवं सम्बन्धित स्कूल के अधिष्ठाता द्वारा संस्तुति सहित सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जाना होगा। सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति के उपरांत ही इन्हें ठहरने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

- डबल बेड के एक कमरें में अधिकतम दो व्यक्तियों के ही ठहरने की अनुमति होगी।
- विशेष परिस्थितियों में कन्वेंशन सेंटर/गेस्ट हाउस के कमरों की निःशुल्क अनुमति 02 दिन तक के लिए (अधिकत 02 कमरों हेतु) कुलसचिव तथा इससे अधिक के लिए अनुमति माननीय कुलपति द्वारा प्रदान की जा सकती है।
- गेस्ट द्वारा गेस्ट हाउस/कन्वेंशन सेंटर में आरक्षित कक्ष को छोडने से पहले कमरें की चाबी (Key) रिसेप्शन पर जमा करानी होगी।
- गेस्ट द्वारा आरक्षित कराये गये कमरों में बुकिंग अवधि के दौरान स्वयं की वस्तुओं के गायब/टूटफूट की जिम्मेदारी स्वयं गेस्ट की होगी, जिसका गेस्ट हाउस/कन्वेंशन सेंटर/विश्वविद्यालय उत्तरदायीं नहीं होगा।
- कमरों में भोजन पकाने/परोसने/खाने से सम्बन्धित बर्तनों की अनुमति नही होगी। भोजन से सम्बन्धित समस्त व्यवस्था डायनिंग हॉल में ही होगी।
- गेस्ट हाउस स्टाफ द्वारा सम्बन्धित कक्ष आवंटी को कमरें का कब्जा लेते समय एक टायलेट साबुन, साफ बेडशीट/बेडकवर, तकिया–एक सेट, फ्रेश टायलेट पेपर रॉल उपलब्ध करायेगें, उक्त सामग्री तीन दिन पश्चात् ही आवश्यकता पडने पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त गेस्ट द्वारा चाहीं गई अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध स्वयं के द्वारा किया जाएगा।
- गेस्ट द्वारा, गेस्ट हाउस में ठहरने की अवधि के दौरान शालीनता और कमरें/भवन की साज–सज्जा बनाए रखें। शोर या किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार, गैरकानूनी व्यवहार न करें, जिससे गेस्ट हाउस में असुविधा एवं अशांति का वातावरण बने, ऐसी स्थिति में कमरें का आरक्षण निरस्त किया जा सकता है।
- गेस्ट हाउस/कन्वेंशन सेंटर, कमरों या कैंपस के अन्दर किसी भी प्रकार का धूम्रपान, जुआ, शराब आदि का सेवन निषेध है। उक्त प्रकार की क्रियाकलाप पाये जाने पर कक्ष का आवंटन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
- गेस्ट हाउस/कन्वेंशन सेंटर में Music/Sound/ Fire Crackers/Arms आदि प्रतिबंधित है।
- विश्वविद्यालय के कन्वेंशन सेंटर एवं गेस्ट हाउस में गेस्ट के ठहरने की अवधि के दौरान उक्त भवनों/कमरों आदि की सम्पत्ति, फिटिंग और फर्नीचर को किसी भी प्रकार के नुकसान होने पर स्वयं बुकिंगकर्ता उत्तरदायी होगा। उक्त क्षति की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित द्वारा बुकिंग के दौरान जमा कराई गई बंधक धनराशि से की जाएगी।
- कन्वेंशन सेंटर एवं गेस्ट हाउस में पालतू जानवर आदि रखने की अनुमति नहीं होगी।

- चैक इन के समय गेस्ट को विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये सहमति पत्र के साथ साथ अपना पेन कार्ड/आधार कार्ड एवं अपनी पहचान से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें अन्यथा की स्थिति में गेस्ट हाउस/कन्वेंशन सेंटर परिसर में प्रवेश नही किया जाएगा।
- विश्वविद्यालय के पास कन्वेंशन सेंटर एवं गेस्ट हाउस में कमरों की बुकिंग को किसी भी समय निरस्त किये जाने का अधिकार सुरक्षित है।
- कन्वेंशन सेंटर एवं गेस्ट हाउस हेतु उक्तांकित निर्धारित दरों में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है, जो कि लागू दर के अनुसार अलग से देय होगा। इसके साथ ही समय समय पर सरकार द्वारा जी0एस0टी0 (TAX) की दरों में परिवर्तन किये जाने की दशा में परिवर्तित दरें लागू होगीं।
- विश्वविद्यालय के कन्वेंशन सेंटर एवं गेस्ट हाउस में कमरों को बुकिंग को सम्बन्धित बुकिंगकर्ता द्वारा निरस्त कराने की स्थिति में निम्नानुसार कटौती की जानी हैः–

A. Booking cancelled one month earlier -	**No charges**
B. Booking cancelled before 15 days -	10% of the entire booking
C. Booking cancelled before 02 days -	15% of the entire booking.
D. Last moment cancellation (24 hrs.) -	20% of the entire booking.